FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0050 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 29/03/2024 17:43 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 26/03/2024 **Date To (दिनांक तक):** 28/03/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:30 बजे **Time To (समय तक):** 11:10 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 29/03/2024 **Time (समय):** 17:10 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 29/03/2024 17:43:15 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 75 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** Sarpanch ki Shop, Harijan Basti Sarda, Tahsel Aklera, District Jhalawar

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Hariom

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Mangilal

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 05/03/2000 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Gram Prthveepura, Gram Panchayt Srda, Panchayt Samiti Aklera, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Gram Prthveepura, Gram Panchayt Srda, Panchayt Samiti Aklera, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-6376528810

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Radheshyam Mehar Sarpnch		पिता:Kalulal	1. Gram Sarda Post sarda,Aklera,JHALAWAR,RAJAS
2	Ravi Kumar Mehar		पिता:Radhesham Mehar	1. Harijan Basti Sarda,Aklera,JHALAWAR,RAJASTHAN,326039,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 25,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 26.03.2024 समय 01.30 पीएम पर परिवादी श्री हरिओम पुत्र श्री मांगीलाल जाति माली उम्र 24 साल निवासी पृथ्वीपुरा ग्राम पंचायत सरड़ा थाना भालता जिला झालावाड़ (राज0) ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड की फोटोप्रति मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश की। परिवादी श्री हरिओम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा प्रार्थना पत्र स्ंवय द्वारा अपने हस्तलेख में लिखा होना एवं उस पर स्ंवय के हस्ताक्षर होना बताया है तथा परिवादी श्री हरिओम ने मजमून दरियाफ्त पर बताया कि प्रार्थी ग्राम पंचायत सरड़ा के ग्राम पृथ्वीपुरा में नरेगा मेट का विगत चार वर्षो से कार्य कर रहा है। मेरे द्वारा ग्राम पृथ्वीपुरा में नरेगा का कार्य दिनांक 06.03.2024 से दिनांक 20.03.2024 तक 110 श्रमिकों द्वारा करवाया गया था। मेरे द्वारा ग्राम पृथ्वीपुरा में कराये गये नरेगा कार्य की 110 श्रमिकों की मस्ट्रोल भरी गयी थी। उक्त कार्यों को पास कराने के एवज में हमारी ग्राम पंचायत के सरपंच साहब श्री राधेश्याम मेहर द्वारा प्रति श्रमिक 500-500रूपये के हिसाब से कुल 55,000रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है। सरपंच साहब बोल रहे है कि जब तक 55,000रूपये नहीं दोगों तब तक मैं आपकी मस्ट्रोल को पास नहीं होने दूंगा, चाहे आप कितने ही चक्कर काट लो। इस प्रकार मेरी ग्राम पंचायत सरड़ा के सरपंच साहब मेरे द्वारा ग्राम पृथ्वीपुरा में 110 श्रमिकों द्वारा करवाये गये नरेगा कार्यों की मस्ट्रोल पास कराने के एवज में प्रति श्रमिक 500-500रूपये के हिसाब से 55,000रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहे है। मैं श्री राधेश्याम मेहर सरपंच साहब को अपने जायज काम के लिए रिश्वत के रूपये नहीं देना चाहता हूं। मेरी सरपंच साहब श्री राधेश्याम जी से किसी प्रकार की कोई पुरानी रंजिश नहीं है और ना ही कोई पैसों का लेनदेन बकाया है। मेरे रिपोर्ट पर कार्यवाही करें। परिवादी श्री हरिओम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 की परिधि में आना पाया जाने पर समय 02ः00 पीएम पर श्री भोजराज सहायक उप निरीक्षक मालखाना प्रभारी से मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर को निकलवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा चेक किया जाकर उसमें मेमोरी कार्ड डालकर परिवादी श्री हरिओम को चालू बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया आपरेटिंग करना भलीभांति समझाकर सुपुर्द कर रिश्वत रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन के क्रम में परिवादी श्री हरिओम की आरोपी श्री राधेश्याम मेहर सरपंच ग्राम पंचायत सरड़ा से रिश्वत मांग की वार्ता डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड करने हेतु कार्यालय के श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 को परिवादी के साथ निगरानी हेतु अपनी-अपनी मोटरसाईकिलों से आवश्यक हिदायत देकर सरड़ा के लिए रवाना किया गया। रवानगी से पूर्व फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये थे । समय 11.30 पीएम पर परिवादी श्री हरिओम व श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। श्री देवदान सिंह कानि0 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड पेश किया। परिवादी श्री हरिओम से रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप होने के बारे में पूछने पर परिवादी ने रूबरू श्री देवदान कानि0 के समक्ष बताया कि आपके निर्देषानुसार हम दोनों अपनी-अपनी मोटरसाईकिल से रवाना होकर ग्राम सरड़ा से कुछ दूरी पर रूके। मैं डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर अपनी मोटरसाईकिल से रवाना हुआ तथा मेरे पीछे-पीछे श्री देवदान सिंह जी भी अपनी मोटर साईकिल से रवाना हुए। मैं सरपंच के घर के बाहर रूका तथा मेरे पीछे-पीछे आ रहे श्री देवदान सिंह जी मुझसे कुछ दूरी बनाकर साईड में खडे हो गये थे। मैं मोटर साईकिल से उतर कर सरपंच साहब के मकान के गेट के पास पहुंचा तभी सरपंच साहब मुझे देखकर बाहर आ गये। मैंने सरपंच साहब से श्रमिकों के नरेगा कार्य की मस्टर रोल पास कराने के सम्बन्ध में वार्ता की तभी उनका पुत्र श्री रवि भी बाहर आ गया था। मैंने दोनों से नरेगा मस्टर रोल पास कराने के सम्बन्ध में वार्ता की व सरपंच साहब के ईशारे पर 10,000/-रूपये उनके पुत्र रवि को दिये। सरपंच साहब ने कहा था कि मेरा काम रवि और इसका मामा देखता है। सरपंच साहब से उनके पुत्र रवि ने कहा था कि 110 श्रमिकों के 500-500 रूपये प्रति श्रमिक के हिसाब से इनके 55,000/-रूपये बनते है। इस पर मैंने कहा था कि 10,000/-रूपये तो अभी दे दिये बाकि 25,000/-रूपये कल-परसों दे जाऊंगा तथा बाकि के 15-20 हजार रूपये बाद में दे जाऊंगा। इस पर सरपंच साहब व उनके पुत्र रवि ने कहा कि 25 हजार नहीं तुम 40 हजार रूपये की व्यवस्था करके आना क्योंकि विडियो साहब व जेईएन साहब और ग्राम सेवक साहब को भी देने पड़ते है नहीं तो वह मस्टर रोल पास नहीं करेंगे। इस पर मैंने उनसे पुनः कहा कि अभी मेरे पास 40 हजार

रूपये की तो व्यवस्था नहीं होगी 25 हजार रूपये की ही व्यवस्था है बाकि के बाद में दूंगा। श्रमिकों के इससे पहले वाले मस्टर रोल के पैसे डल गये होंगे तो मैं लोगों से रूपये इकट्ठे कर बाकि के रूपये ले आऊंगा। उक्त वार्ता होने के बाद मैं वहां से अपनी मोटर साईकिल से रवाना हो गया था तथा मेरे पीछे-पीछे देवदान सिंह जी जो दूर से मुझे सरपंच व उसके पुत्र से वार्ता करते हुए देख रहे थे वह भी रवाना हो गये थे। सरपंच साहब श्री राधेश्याम जी व उनके पुत्र श्री रवि से जो भी मेरी वार्ता हुई थी वह आप द्वारा दिये हुए डिजीटल वाईस रिकाॅर्डर में रिकाॅर्ड हो गयी थी जिसे मैंने बाद में आगे जाकर रूककर बन्द कर लिया था तथा सारे हालात श्री देवदान सिंह जी को बताकर बन्द षुदा डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर उनको सुपुर्द कर दिया था। तत्पष्चात् मैं व श्री देवदान सिंह कानि0 अपनी-अपनी मोटरसाईकिलों से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ आये है। परिवादी श्री हरिओम द्वारा पूछताछ के दौरान बताये गये कथनों की निगरानी हेतु हमराह गये श्री देवदान सिंह कानि0 से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पूछताछ करने पर उसने परिवादी के कथनो की ताईद करते हुए बताया कि आरोपीगण श्री राधेश्याम मेहर सरपंच व उसका पुत्र रवि तथा परिवादी हरिओम के मध्य आपस में वार्ता हुई थी, जिसे मैं दूर खड़ा होकर दिखाई देने वाले स्थान से देख रहा था। इस पर डिजीटल वाईस रिकाॅर्डर को चलाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सुना गया तो उसमें वार्ताऐं होने की पुश्टि हुई। इस पर परिवादी श्री हरिओम को आरोपीगणों से हुई वार्तानुसार रिश्वत राषि का इन्तजाम कर कार्यालय में उपस्थित आने व अब तक की कार्यवाही के सम्बंध में गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। परिवादी के रवाना होने से पूर्व फर्द प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकाॅर्डर मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री देवदान सिंह कानि0 425 द्वारा रिश्वत राषि मांग सत्यापन सम्बंधी रिकाॅर्डेड डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द षुदा को श्री भोजराज सउनि को बुलाकर सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाना में रखने की हिदायत दी गई । आईन्दा परिवादी श्री हरिओम एवं स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकाॅर्डेड वार्ता को ब्यूरो कार्यालय के कम्प्यूटर में डालकर सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब की जावेगी। दिनांक 27.03.2024 समय 04.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री हरिओम ने जरिये मोबाईल काॅल कर अवगत कराया मेरे द्वारा आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राषि के 25,000रूपये की व्यवस्था हो गयी है तथा मैंने अपने स्तर पर जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि आरोपीगण श्री राधेश्याम मेहर व श्री रवि कल दिनांक 28.03.2024 को ग्राम पंचायत सरड़ा पर ही मिलेगे। इस पर परिवादी श्री हरिओम को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने रिश्वत राषि के 25,000रूपये लेकर ट्रेप कार्यवाही हेतु दिनांक 28.03.2024 को प्रातः 07.00 बजे ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने के लिए जरिये मोबाईल वार्तालाप कर पाबन्द किया जिस पर उसने समय पर रिश्वत राषि लेकर ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर उपस्थित होने के लिए बताया। दिनांक 28.03.2024 को ट्रेप कार्यवाही की जानी है। अतः दो स्वतंत्र सरकारी गवाहान की तलबी हेतु कार्यालय अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, झालावाड़ के नाम कार्यालय पत्रांक एसपीएल-01 दिनांक 27.03.2024 मुर्तिब कर श्री षिवराज कानि0 166 को पत्र देकर कार्यालय अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, झालावाड़ जाकर गवाहान को पाबन्द कराने हेतु रवाना किया गया। समय 05ः00 पीएम पर श्री षिवराज कानि0 166 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, झालावाड़ के श्री पवन कुमार सच्चर पुत्र स्व0 श्री देवेन्द्रनाथ सच्चर जाति पंजाबी उम्र 56 साल निवासी मकान नं0 21 महात्मा गांधी काॅलोनी बाईपास रोड़ झालरापाटन जिला झालावाड़ हाल संस्थापन अधिकारी कार्यालय अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग, वृत झालावाड़ मो0नं0 9414751125 व श्री जावेद अख्तर पुत्र स्व0 श्री अब्दुल सलाम खान जाति मुसलमान उम्र 39 साल निवासी शफी काॅलोनी, कालेषाह बाबा के मजार के पास झालावाड़ हाल सहायक प्रषासनिक अधिकारी कार्यालय अधिषाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग खण्ड झालावाड़ मो0नं0 8619067706 को पाबन्द कर ब्यूरो कार्यालय में पाबन्द षुदा स्वतंत्र गवाहान का पत्रांक 8366 दिनांक 27.03.2024 मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया। पत्र को षामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 28.03.2024 समय 07.00 एएम पर तलविदा दो स्वतंत्र गवाहान श्री पवन कुमार सच्चर हाल संस्थापन अधिकारी व श्री जावेद अख्तर हाल सहायक प्रषासनिक अधिकारी कार्यालय अधिषाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग खण्ड झालावाड़ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिनसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिचय प्राप्त कर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत करवाया गया। समय 07.05 एएम पर पाबन्दषुदा परिवादी श्री हरिओम ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व अवगत कराया कि वह अपने साथ रिश्वत मंे दी जाने वाली रिश्वत राषि 25,000 रूपये लेकर आया है। परिवादी ने यह भी अवगत कराया कि आरोपी श्री राधेश्याम मेहर सरपंच आज ग्राम पंचायत सरड़ा पर ही मौजूद मिलेगा तथा वह मुझसे पूर्व में हुई वार्ता अनुसार रिश्वत राषि प्राप्त कर लेगें। परिवादी का ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री पवन कुमार सच्चर संस्थापन अधिकारी व श्री जावेद अख्तर सहायक प्रषासनिक अधिकारी से परस्पर परिचय कराया गया। परिवादी श्री हरिओम द्वारा दिनांक 26.03.2024 को ब्यूरो कार्यालय में पेष किया गया प्रार्थना पत्र रिश्वत राषि देते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पढ़कर सुनाया गया। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढ़कर व परिवादी से वार्तालाप कर परिवादी द्वारा पेष किये गये प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये तथा ट्रेप कार्यवाही में सहयोग हेतु साथ रहने की सहमति दी गई। समय 07ः15 एएम पर परिवादी श्री हरिओम व दोनों स्वतंत्र

गवाहान श्री पवन कुमार सच्चर व श्री जावेद अख्तर की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देष देकर श्री भोजराज सहायक उप निरीक्षक से मालखाना में सुरक्षित रखे हुए डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को निकलवाया गया। जिसके बारे में दोनों स्वतंत्र गवाह को समझाया गया कि पूर्व में दिनांक 26.03.2024 को परिवादी श्री हरिओम एवं आरोपी श्री राधेश्याम मेहर सरपंच ग्राम पंचायत सरड़ा तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ व उसके पुत्र श्री रवि व अन्य के मध्य रिश्वत राषि मांग की गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हो चुकी है। डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड में दिनांक 26.03.2024 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को श्री देवदान सिंह कानि0 425 को निर्देष देकर डिजिटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से उक्त वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री हरिओम के समक्ष वार्ता को कम्प्यूटर के स्पीकर आन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री हरिओम ने एक आवाज स्ंवय की व दूसरी आवाज आरोपी श्री राधेश्याम मेहर सरपंच व तीसरी आवाज आरोपी सरपंच के पुत्र श्री रवि कुमार मेहर तथा चैथी आवाज अन्य अपरिचित व्यक्ति की होना बताया। वार्ता की हूबहू कम्प्यूटर से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप मेरे निर्देषन में श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर षामिल पत्रावली की गई। समय 08ः20 एएम पर परिवादी श्री हरिओम ने दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री पवन कुमार सच्चर व श्री जावेद अख्तर के समक्ष अपने पास से 25,000 रूपये रिश्वत में दी जाने वाली राषि 500-500 रूपये के कुल 50 नोट भारतीय मुद्रा के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेष किये जिनके नम्बरों को फर्द पेषकषी में अंकित करवाया गया। उक्त प्रस्तुत नोटों को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी व सरकारी स्वतन्त्र गवाहान को दिखा कर श्री षिवराज कानि. नं. 166 से फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई तथा उक्त कानि. को रिश्वत में दिये जाने वाले नोट सुपुर्द कर उसके द्वारा ही 25,000/-रूपये रिश्वत राषि के नोटो पर फिनोलफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृष्य रहे तथा गवाह श्री पवन कुमार सच्चर से परिवादी श्री हरिओम की जामा तलाषी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया। श्री षिवराज कानि. नं. 166 के हाथ से सीधे ही फिनोलफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि परिवादी श्री हरिओम की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवायी गयी। परिवादी को हिदायत दी गई की वह रिश्वत राशि को रास्ते में अनावष्यक हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी श्री राधेश्याम मेहर सरपंच ग्राम पंचायत सरड़ा तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ (राज0) द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व में आरोपी से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात् रिश्वत राषि कहां रखता अथवा छुपाता हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपी के रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने स्ंवय के सिर पर दोनांे हाथ फेर कर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस काल करें ताकि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को रिश्वत राशि के लेन-देन होने का पता चल जाये। दोनांे स्वतन्त्र गवाहन व टेªप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वत लेन-देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री षिवराज कानि0 से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। डिस्पोजल गिलास के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री षिवराज कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियांे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह दोनों स्वतंत्र गवाहान् श्री पवन कुमार सच्चर व श्री जावेद अख्तर एवं परिवादी श्री हरिओम को दृश्टांत देकर समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर दोनों पाउडर के परस्पर मिश्रण से घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोलफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है। इसके पश्चात् श्री षिवराज कानि. के द्वारा ही डिस्पोजल गिलास में दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वाश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास व फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों, चम्मच, खाली पव्वों टेªप सामग्री किट इत्यादि को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। श्री षिवराज कानि0 एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणों की अपनी-अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा टेªप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्ंवय के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् पुनः परिवादी सहित समस्त टेªप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। रिश्वत राषि लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु एक डिजिटल वाईस रिकार्डर के रख रखाव व संचालन की विधि पुनः समझाकर परिवादी श्री हरिओम को सुपुर्द किया गया। दृश्टांत कार्यवाही की पृथक से फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वती राषि नोट एवं दृष्टान्त मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़कर सुनाई गई, सुन समझ सही मान

सम्बंधित ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 08ः35 एएम पर ट्रेप कार्यवाही से पूर्व की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने के पष्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगराम मीना मय परिवादी श्री हरिओम, दोनों स्वतंत्र गवाह श्री पवन कुमार सच्चर व श्री जावेद अख्तर तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री भोजराज सउनि, श्री मोहम्मद आफाक सउनि, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 मय सरकारी व प्राईवेट वाहनों से चालक श्री छोटूलाल कानि0 नं0 534 मय ट्रेप बाॅक्स, लेपटाॅप, प्रिन्टर के बजानिब सरड़ा की और ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ तथा श्री षिवराज कानि. नं. 166 को ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में छोड़ा गय। समय 09.50 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री पवन कुमार सच्चर व श्री जावेद अख्तर व परिवादी श्री हरिओम तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री भोजराज सउनि, श्री मोहम्मद आफाक सउनि, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 मय सरकारी व प्राईवेट वाहनों से मय चालक श्री छोटूलाल कानि0 नं0 534 मय ट्रेप बाॅक्स, लेपटाॅप, प्रिन्टर के ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ से रवाना होकर ग्राम सरड़ा से कुछ दूरी पर रूका। परिवादी श्री हरिओम को पुनः समझाईस कर आरोपी सरपंच राधेश्याम के निजी आवास के लिए रवाना किया तथा वाहनों को रोड़ से साईड में खड़ा कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दोनों स्वतंत्र गवाहान मय जाब्ता के परिवादी श्री हरिओम के पीछे-पीछे कुछ दूरी बनाकर रवाना हुए। परिवादी श्री हरिओम एक मकान में प्रवेष हुआ तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मकान के आस-पास अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए ट्रेप जाल बिछाया तथा परिवादी श्री हरिओम के ईषारे का इंतजार करने लगा। समय 11.10 एएम पर परिवादी श्री हरिओम ने सरपंच के निजी आवास के मुख्य द्वार के साईड में बनी दुकान के बाहर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पूर्व निर्धारित ईषारा अपने सिर पर हाथ फेरकर करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहन व एसीबी जाब्ते को अपने पीछे आने का ईषारा कर परिवादी के पास पहुंचा तथा परिवादी से डीजीटल वाईस रिकाॅर्डर प्राप्त कर उसे बन्द कर अपने कब्जे लिया गया। परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं सरपंच साहब श्री राधेश्याम जी के घर पर पहुंचा तो वह स्नान कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं नरेगा की मस्टर रोल के 25,000रूपये देने आया हूं। इस पर सरपंच साहब ने स्नान करते हुए ने ही मुझसे बोला कि रवि खेत पर गया है, बाहर दुकान पर बैठ जा, अभी आता ही होगा। रवि ही करेगा जो भी करेगा। कुछ देर बाद ही सरपंच साहब का पुत्र श्री रवि कुमार मेहर दुकान पर आया। थोड़ी देर बाद ही सरपंच साहब भी दुकान पर आ गये थे। इस पर मैंने श्री रवि कुमार मेहर से 25,000रूपये मस्टर रोल पास कराने की एवज में उसको देने चाहे तो उन्होने कहा नहीं, 40,000रूपये ही लेकर आओ, मेरे को भी सिस्टम में देने पड़ते है, मैंने रवि कुमार से कहा कि यह 25,000रूपये तो पकड़ो, मैं भी इंतजाम करके या आपके अकलेरा जाने पर फोन पैय से 10-15 हजार रूपये डाल दूंगा, रवि कुमार मेहर ने 25,000रूपये मुझसे प्राप्त कर अपने हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई स्लेटी रंग की जींस की पेन्ट की पीछे की बायीं जेब में रख ली, फिर मैंने दुकान के बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत राषि देने का ईषारा कर दिया था। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपने साथ खड़े स्वतंग गवाह व स्टाफ को चलने का ईषारा कर परिवादी को साथ लेकर मय जाब्ता व स्वतंत्र गवाहान के सरपंच राधेश्याम की दुकान/आॅफिस में प्रवेष किया तो वहां पर दो व्यक्ति मौजूद थे, जिनमें एक व्यक्ति की और ईषारा कर परिवादी श्री हरिओम ने बताया कि यही सरपंच साहब के पुत्र रवि कुमार मेहर है, जिनको मैंने 25,000रूपये रिश्वत दी है, पास में जो कुर्सी पर बैठे है, वह राधेश्याम सरपंच है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उन दोनों व्यक्तियों को अपना परिचय देकर नाम पता पूछा तो कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति ने अपना नाम राधेश्याम पुत्र श्री कालूलाल जाति मेहर उम्र 53 साल निवासी हरिजन बस्ती, सरड़ा तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ हाल सरपंच ग्राम पंचायत सरड़ा पंचायत समिति अकलेरा होना बताया तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम सरपंच साहब का पुत्र रवि कुमार मेहर पुत्र श्री राधेश्याम जाति मेहर उम्र 26 साल निवासी हरिजन बस्ती, सरड़ा तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ होना बताया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त दोनों व्यक्तियों से तसल्ली देकर पूछा कि अभी-अभी आपने श्री हरिओम से 25,000रूपये लिये है वह कहां है, और किस बात के लिए है, इस पर रवि कुमार मेहर ने बताया कि 25,000रूपये श्री हरिओम से मैंने मस्टर रोल की एवज में प्राप्त किये है, जो मेरी पेन्ट की पीछे की बायीं जेब में रखे हुए है। इस पर मेरे निर्देष पर रवि कुमार मेहर का बायां हाथ श्री देवदान कानि0 नं0 425 व दायां हाथ श्री पवन कुमार कानि0 नं0 28 ने कलाई के ऊपर से पकड़ लिये, कुर्सी पर बैठे श्री राधेश्याम सरपंच से तसल्ली देकर पूछा तो बताया कि मस्टर रोल के रूपये लेने थे, जो मेरे कहने पर मेरे बेटे रवि ने ले लिये है, मैं मस्टर रोल पास करने की एवज में आगे सिस्टम में देने की बात कहकर स्वयं के लिए ही लेता हूं तथा दोनों ने ही अन्य कुछ कहने में अनभिज्ञता जाहिर की, पुनः दोनों से परिवादी से पूर्व में ही वार्ता पंचायत समिति के वीडियो व अन्य को पैसे देने के सम्बंध में पूछा गया तो दोनों ही आरोपीगणों ने जबाव दिया कि उच्चाधिकारीयों के नाम लेकर मस्टर रोल को पास कराने की एवज में रूपये की मांग कर प्राप्त कर अपने पास स्वयं ही रखते है तथा दोनों ही घबराये हुए थे व बताया कि हमें मालूम नहीं था कि मस्टर रोल के पैसे मांगना भी गलत होता है। हमारे से गलती हो गई। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री हरिओम के पेण्डिंग कार्य श्रमिकों के मस्टर रोल पेष करने के लिए कहा तो सरपंच के पुत्र रवि कुमार मेहर ने टेबल से उठाकर दो दस्तावेज पेष किये, जिनका मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अवलोकन किया गया, तो उस पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम मस्टर रोल (अकुषल श्रमिकों हेतु) लिखा हुआ था, इनमें से एक मस्टर रोल संख्या 54790 दिनांक 07.03.2024 गांव पृथ्वीपुरा, जिसमें क्रम

संख्या 01 से 58 श्रमिकों की मस्टर रोल भरी हुई है, जिसमें 07 पेज है, जिसमें प्रकाष के हस्ताक्षर होना अंकित है तथा दूसरी मस्टर रोल संख्या 54796 दिनांक 07.03.2024 गांव पृथ्वीपुरा, जिसमें क्रम संख्या 01 से 40 व क्रम संख्या 51 से 72 कुल 62 श्रमिकों की मस्टर रोल भरी हुई है, जिसमें 08 पेज है, जिसमें हरिओम के हस्ताक्षर होना अंकित है। उक्त दोनों मस्टर रोलों को कब्जे एसीबी लिया गया। मकान के बाहर काफी भीड़ एक्ट्ठा होने के कारण सुरक्षा की दृश्टि से दोनों आरोपीगणों को डिटेन कर हाथ पकड़े स्थिति में वाहन में बैठाकर मय ट्रेप टीम के पुलिस चैकी सरड़ा के लिए रवाना होकर सरड़ा पुलिस चैकी पर पहुंचा। वाहन से उतरकर चैकी में प्रवेष किया तो वहां टेबल कुर्सी पर हैड कानि0 की वर्दी में एक पुलिसकर्मी बैठा हुआ था, जिसे मैंने अपना परिचिय देकर आना का मन्तवय बताया। इस पर पुलिसकर्मी ने अपना नाम राजेन्द्र सिंह हैड कानि0 होना बताया तथा कार्यवाही के लिए एक कमरा उपलब्ध करवाया। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाह व परिवादी के समक्ष दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया, जिसमें सरपंच के पुत्र रवि कुमार मेहर के दोनों हाथों को अलग-अलग डिस्पोजल गिलासों में धुलवाकर लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिनको दो-दो अलग-अलग कांच की षीषीयों में भरकर सील मोहर किया जाकर बायें हाथ के सेम्पलों पर मार्क एलएच-1, एलएच-2 व दाहिने हाथ के धोवन के सेम्पल पर मार्क आरएच-1, आरएच-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। रिश्वत राषि 25,000रूपये आरोपी रवि कुमार मेहर ने अपनी पहनी हुई स्लेटी रंग की जीन्स की पेन्ट की पीछे की बार्यी जेब में होना बताया है। इस पर स्वतंत्र गवाह श्री जावेद अख्तर को निर्देष देकर आरोपी रवि कुमार मेहर की पहनी हुई पेन्ट की पीछे की जेब की तलाषी लिवायी गयी तो उसमें से 500-500रूपये की एक थेई मिली, जिसको गवाह द्वारा गिना गया तो 25,000रूपये होना पाये गये। इस पर दोनों गवाहों को निर्देष देकर फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी से मिलान करने हेतु कहा गया तो दोनों स्वतंत्र गवाह ने बरामद नोटों के नम्बरों को फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान कर हुबहू होना बताया, जो निम्न प्रकार है- 1. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 6BL 511311 2एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 9FA 865165 3 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5SG 386075 4. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5HD 238044 5एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 0RE 687697 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4AP 832975 7 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 6CC 258506 8एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 7GU 264416 9एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1AE 285301 10. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 6BL 714679 11एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4TG 393732 12 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 9QG 009225 13.एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5AM 188584 14एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 6GM 199804 15एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8AW 595181 16. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 2SW 333450 17. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8UG 057783 18 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 0DK 066713 19 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 7FD 525168 20एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1PE 303765 21.एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1SH 549172 22. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1KS 011958 23. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 6RH 015714 24. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4HT 831885 25. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8AP 554987 26. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4RK 042671 27.एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 9HD 865859 28. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 9BD 904434 29 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 3AC 061369 30. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 3AC 061219 31. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 3AC 061221 32. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 3AC 061220 33.एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5PB 302729 34. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5FD 481852 35.एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1CU 628295 36 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 2NV 546319 37. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 2NE 321711 38. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 7AD 611308 39.एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 4TA 116590 40 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर9BT 798960 41 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 9BT 798957 42. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 9BT 798956 43. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 9BT 798955 44 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 0GD 684396 45. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8MU 244703 46 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 1LL 874970 47एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 6GT 051005 48 एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 8GN 953267 49.एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 6VP 788455 50. एक नोट 500/-रूपये का नम्बर 5FL 418511 उक्त रिश्वत राषि के 500-500 रूपये के 50 बरामदषुदा नोटों को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे में रखकर मौके पर सील चीट कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। रिश्वत राषि 25,000रूपये आरोपी रवि कुमार मेहर की पेन्ट की पीछे की जेब से बरामद हुए है। अतः पेन्ट की जेब का धोवन लिया जाना आवष्यक है। अतः आरोपी रवि कुमार मेहर को निर्देषित कर दूसरी पेन्ट मंगवायी गयी तथा पहनी हुई पेन्ट को उतरवाकर दूसरी पेन्ट पहनवाई गई। उतरवाई हुई पेन्ट की पीछे की बार्यी जेब का धोवन लिया जाना है। अतः पेन्ट की जेब को उलटकर एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट को घोल तैयार करवाया गया तथा उक्त रंगहीन घोल में उल्टी हुई पेन्ट की जेब को दोनों स्वतंत्र गवाह व परिवादी के समक्ष डूबोकर धूलवाया गया, तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की अलग-अलग षीषीयों में आधा-आधा भरकर

सील मोहर कर मार्क पी-1, पी-2 अंकित किया गया तथा पेन्ट को धूप में सुखोकर रिश्वत की राषि रखी स्थान पर पेन्ट की जेब पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक कपड़े के थेली में रखकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर सील मोहर कर मार्क पी अंकित किया गया। सफेद रंग के डिस्पोजल गिलासों को मौके पर ही नश्ट किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राषि एवं हाथ धुलाई तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर षामिल कार्यवाही की गई। समय 02ः50 पीएम पर आरोपी राधेश्याम हाल सरपंच ग्राम पंचायत सरड़ा पंचायत समिति अकलेरा को दोनों स्वतंत्र गवाहन के समक्ष, आरोपी को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी को बताया कि दिनांक 26.03.2024 को आपके निजी आवास हरिजन बस्ती, सरड़ा में परिवादी श्री हरिओम से हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप व दिनांक 28.03.2024 को वक्त रिश्वत लेनदेन वार्तालाप हुई थी, उक्त दोनों वार्ताओं को परिवादी श्री हरिओम द्वारा उसको एसीबी कार्यालय झालावाड़ द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकाॅर्ड किया था। उसका एफएसएल से परीक्षण करवाने हेतु जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो आरोपी राधेश्याम ने फर्द पर ही स्वयं के हस्तलेख में लिखकर दिया कि '' मैं अपनी आवाज का स्वैच्छा से परीक्षण नहीं करवाना चाहता हूॅ '' अंकित कर अपने हस्ताक्षर किये। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर षामिल पत्रावली किया गया। इसी प्रकार समय 03ः15 पीएम पर आरोपी रवि कुमार मेहर को जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो उसने भी फर्द पर ही स्वयं के हस्तलेख में लिखकर दिया कि ''मैं स्वैच्छा से अपनी आवाज का परीक्षण नहीं कराना चाहता हूॅ '' अंकित कर अपने हस्ताक्षर किये। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर षामिल पत्रावली किया गया। समय 03ः30 पीएम पर आरोपी राधेश्याम हाल सरपंच ग्राम पंचायत सरड़ा पंचायत समिति अकलेरा जिला झालावाड़ को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिफ्तार किया गया। आरोपी राधेश्याम की जामा तलाषी स्वतंत्र गवाह श्री पवन कुमार सच्चर से लिवायी गयी तो आरोपी के पहने हुए कपड़ों के अलावा अन्य कोई संदिग्ध राषि इत्यादी नहीं मिली। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार उसके साला श्री बाबूलाल मेहर को दी गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 03ः50 पीएम पर आरोपी रवि कुमार मेहर को भी जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार किया गया। आरोपी रवि कुमार मेहर की जामा तलाषी स्वतंत्र गवाह श्री पवन कुमार सच्चर से लिवायी गयी तो आरोपी के पहने हुए कपड़ों के अलावा अन्य कोई संदिग्ध राषि इत्यादी नहीं मिली। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार उसके मामा श्री बाबूलाल मेहर को दी गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 04ः00 पीएम पर मौके की कार्यवाही पूर्ण होने पर तथा घटनास्थल का नक्षा मौका तैयार करने व आरोपी के मकान की खाना तलाषी लेने हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी श्री हरिओम व दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टाफ के गिरफ्तार षुदा आरोपीगण राधेश्याम व रवि कुमार मेहर को साथ लेकर तथा मय ट्रेप बाॅक्स, लेपलाॅट प्रिन्टर व जब्त षुदा रिश्वत राषि व आर्टिकल्स इत्यादी लेकर साथ लाये वाहनों से मय चालक श्री छोटूलाल कानि0 के आरोपीगण के निजी आवास घटनास्थल हरिजन मोहल्ला, सरड़ा के लिए रवाना होकर समय 04.10 पीएम पर पहुंचा तथा समय 04ः20 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देषन में परिवादी श्री हरिओम की निषानदेही पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का नजरी निरीक्षण किया जाकर नक्षा मौका घटनास्थल कषीद किया जाकर मूर्तिब किया गया, जिस पर हाजरीन ने सुन समझ देखकर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। मूर्तिबषुदा नक्षा घटनास्थल को षामिल पत्रावली किया गया। समय 04ः50 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देषन में रूबरू मौतबिरान के समक्ष दोनों आरोपीगण राधेश्याम व रवि कुमार मेहर से सहमति प्राप्त की जाकर उनके मकान की खाना तलाषी ली गई। खाना तलाषी में वास्ते अनुसंधान हेतु तीन मस्टर रोल जब्त किये जाकर षामिल पत्रावली किये गये। खाना तलाषी के दौरान अन्य कोई बहुमूल्य वस्तु जैसे नकदी, आभूशण, स्थायी सम्पत्तियों सम्बंधी दस्तावेजात नहीं मिले और ना ही कोई वस्तु/दस्तावेज जब्त कर कब्जे ब्यूरो ली गयी। फर्द खाना तलाषी पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर षामिल पत्रावली की गयी तथा फर्द खाना तलाषी की एक प्रति आरोपी राधेश्याम को दी गयी। समय 06ः00 पीएम पर आरोपीगण के मकान की खाना तलाषी लेने की कार्यवाही सम्पूर्ण होने के पष्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, दोनों स्वतंत्र गवाहान हमराहियान जाब्ता व गिरफ्तार षुदा आरोपीगण व मौके से जब्त शुदा व बरामद शुदा रेकाॅर्ड बतौर वजह सबूत, रिश्वत राशि 25,000रूपये का लिफाफा तथा धोवन के सैम्पल इत्यादि को साथ लेकर सरकारी व प्राईवेट वाहनों से एसीबी चैकी झालावाड़ के लिए रवाना होकर समय 08ः05 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुॅचा। ट्रेप कार्यवाही के दौरान मौके से जब्त शुदा व बरामद शुदा माल बतौर वजह सबूत, रिश्वत राशि 25,000रूपये तथा धोवन के सैम्पल इत्यादि मालखाना प्रभारी श्री भोजराज सउनि को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना जमा करवाये गये। समय 08ः10 पीएम पर परिवादी श्री हरिओम व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री पवन कुमार सच्चर व श्री जावेद अख्तर की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 को निर्देष देकर दिनांक 28.03.2024 को परिवादी श्री हरिओम एवं आरोपीगण राधेश्याम व रवि कुमार मेहर के मध्य आरोपीगण के निवास स्थान हरिजन बस्ती, सरड़ा में वक्त रिश्वत लेनदेन

वार्ता हुई थी, जिसे परिवादी श्री हरिओम द्वारा उसको सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड में उसके द्वारा वार्तालाप के दौरान रिकाॅर्ड किया गया था। वार्तालाप को श्री देवदान सिंह कानि0 425 को निर्देष देकर डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर के मेमोरी कार्ड से कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री हरिओम के समक्ष वार्ता को लेपटोप में लेकर स्पीकर आॅन कर वार्ता को सुनाया गया, आवाजों की पहचान कर परिवादी श्री हरिओम ने एक आवाज स्ंवय की व दूसरी आवाज आरोपी राधेश्याम सरपंच व तीसरी आवाज आरोपी रवि कुमार मेहर तथा चैथी आवाज अन्य व्यक्ति की होना बताया। वार्ता की हूबहू लेपटोप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्तालाप मेरे निर्देषन में श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर षामिल पत्रावली की गई। समय 09ः50 पीएम पर दिनांक 26.03.2024 को परिवादी श्री हरिओम व आरोपीगण राधेश्याम व रवि कुमार मेहर व अन्य व्यक्ति के मध्य रिश्वत की मांग से संबंधित वार्तालाप हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप दिनांक 28.03.2024 को समय 07.15 एएम पर तैयार की गई थी तथा दिनांक 28.03.2024 को वक्त रिश्वत लेनदेन के समय परिवादी श्री हरिओम व आरोपीगण राधेश्याम व रवि कुमार मेहर व अन्य व्यक्ति के मध्य आपस में वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 28.03.2024 को समय 08.10 पीएम पर तैयार की गई थी। उक्त दोनों वार्ताओं को डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर से कार्यालय कम्प्यूटर में लेकर सेव किया गया था। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देषानुसार श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 के द्वारा जरिये कम्प्यूटर पांच सीडी तैयार करवायी गयी, जिसमें एक सीडी आरोपी राधेश्याम के लिये, एक सीडी आरोपी रवि कुमार मेहर के लिए, एक सीडी नमूना आवाज हेतु तथा एक सीडी माननीय न्यायालय हेतु कपडे़ की थेली में अलग-अलग रखकर चार सीडियों को सील मोहर की गई तथा एक सीडी अनुसंधान अधिकारी के सुनने हेतु तैयार कर रखा गया तथा रिश्वत राषि मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वत राषि लेनदेन वार्ता जो डिजिटल वाईस रिकाॅर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 32GB micro SD HC I A1 2376TXC3KOJ4 BM MADE IN TAIWAN) में रिकार्ड की गई थी उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर बजह सबूत माननीय न्यायालय हेतु पृथक से एक कपड़े की थेली में रखकर षिल्डचिट किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द डबिंग सीडी पृथक से तैयार करवाकर सीडी व फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवायक जाकर फर्द को षामिल पत्रावली किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही व हालात से पाया गया कि दिनांक 26.03.2024 को श्री हरिओम पुत्र श्री मांगीलाल जाति माली उम्र 24 साल निवासी पृथ्वीपुरा ग्राम पंचायत सरड़ा थाना भालता जिला झालावाड़ ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर स्ंवय उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आषय का पेष किया कि प्रार्थी ग्राम पंचायत सरड़ा के ग्राम पृथ्वीपुरा में नरेगा मेट का विगत चार वर्शों से कार्य कर रहा है। मेरे द्वारा ग्राम पृथ्वीपुरा में नरेगा का कार्य दिनांक 06.03.2024 से दिनांक 20.03.2024 तक 110 श्रमिकों द्वारा करवाया गया था। मेरे द्वारा ग्राम पृथ्वीपुरा में कराये गये नरेगा कार्य की 110 श्रमिकों की मस्ट्रोल भरी गयी थी। उक्त कार्यों को पास कराने के एवज में हमारी ग्राम पंचायत के सरपंच साहब श्री राधेश्याम मेहर द्वारा प्रति श्रमिक 500-500रूपये के हिसाब से कुल 55,000रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है। सरपंच साहब बोल रहे है कि जब तक 55,000रूपये नहीं दोगों तब तक मैं आपकी मस्ट्रोल को पास नहीं होने दूंगा, चाहे आप कितने ही चक्कर काट लो। परिवादी की उक्त षिकायत पर उसी दिन दिनांक 26.03.2024 को रिश्वत मांग का सत्यापन करवाये जाने पर सत्यापन के दौरान ही आरोपीगण द्वारा परिवादी से 10,000 रूपये रिश्वत के प्राप्त किये तथा परिवादी द्वारा 25,000रूपये एक दो दिन में बाकी रूपये बाद में देने की कहने की कहा जो रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से परिवादी के कथनों की पुश्टि होने पर आज दिनांक 28.03.2024 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर आरोपी राधेश्याम सरपंच के कहने पर उसके पुत्र रवि कुमार मेहर द्वारा परिवादी की नरेगा की मस्टर रोल पास करवाने की एवज में 25,000रूपये रिश्वत राषि प्राप्त कर गिनकर अपनी पहनी हुई स्लेटी कलर की जीन्स की पेन्ट की पीछे की बायीं जेब रखे, जहां से रूबरू स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिश्वत राषि बरामद की गई। आरोपी रवि कुमार मेहर के दोनों हाथों व पेन्ट की जेब की धुलाई का धोवन गुलाबी प्राप्त हुआ। परिवादी की पेण्डिंग कार्य सम्बंधित नरेगा की मस्टर रोल बरामद कर कब्जे लेकर अवलोकन किया गया तो दोनों मस्टर पर राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम मस्टर रोल (अकुषल श्रमिकों हेतु) लिखा हुआ था, इनमें से एक मस्टर रोल संख्या 54790 दिनांक 07.03.2024 गांव पृथ्वीपुरा, जिसमें क्रम संख्या 01 से 58 श्रमिकों की मस्टर रोल भरी हुई है, जिसमें 07 पेज है, जिसमें प्रकाष हस्ताक्षर होना अंकित है तथा दूसरी मस्टर रोल संख्या 54796 दिनांक 07.03.2024 गांव पृथ्वीपुरा, जिसमें क्रम संख्या 01 से 40 व क्रम संख्या 51 से 72 कुल 62 श्रमिकों की मस्टर रोल भरी हुई है, जिसमें 08 पेज है, जिसमें हरिओम के हस्ताक्षर होना अंकित है। इस सम्बंध में अनुसंधान के दौरान स्थिति स्पश्ट हो सकेगी। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 26.03.2024, वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 28.03.2024, फर्द बरामदगी व जब्त पेण्डिंग कार्य से आरोपीगणों के विरूद्ध जुर्म धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपीगण राधेश्याम पुत्र श्री कालूलाल जाति मेहर उम्र 53 साल निवासी हरिजन बस्ती, सरड़ा तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ हाल सरपंच ग्राम पंचायत सरड़ा पंचायत समिति अकलेरा व रवि कुमार मेहर पुत्र श्री राधेश्याम जाति मेहर उम्र 26 साल निवासी हरिजन बस्ती, सरड़ा तहसील अकलेरा जिला झालावाड़ के विरूद्ध जुर्म अंर्तगत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित

2018) का अपराध घटित होना पाया जाने पर उक्त आरोपीगणों के विरूद्ध उक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक सी0पी0एस0 भ्रनिब्यूरो जयपुर को प्रेषित की जावेगी। भवदीय (जगराम मीना) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़।.....कार्यवाही पुलिस.... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री जगराम मीना, अतिरिक्त पलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों झालावाड ने जरिये ई–मेल प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7ए,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1-श्री राधेश्याम पुत्र श्री कालूलाल निवासी हरिजन बस्ती, सरडा तहसील अकलेरा जिला झालावाड हाल सरपंच ग्राम पंचायत सरडा पंचायत सिमित अकलेरा एवं 2- श्री रवि कुमार मेहर पुत्र श्री राधेश्याम, निवासी हरिजन बस्ती, सरडा तहसील अकलेरा जिला झालावाड के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 50/2024 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्रीमती चन्द्रकंवर, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, (इन्टें) कोटा को सुपुर्द कर नियमानुसार जारी की गई।उक्त की रोजनामचाआम रपट 343 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर। क्रमांक 238-41 दिनांक 29.3.2024 प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1.विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2.आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर ।3.उप महानिरीक्षक पुलिस,भष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा। 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Chandra Kanwar Tanwar **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 29/03/2024 17:45:46

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1972				
2	Male	19/12/1996				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)